भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 829

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

महाराष्ट्र में नीरा देवघर सिंचाई परियोजना

829. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र में नीरा देवघर सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय अनुमोदन प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) को प्रस्तुत किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए 07.06.2024 को निर्धारित पीआईबी की बैठक स्थगित कर दी गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई संशोधित तिथि निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्थगन के बाद मंत्रालय द्वारा पीआईबी को कोई अनुवर्ती अनुरोध भेजा गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तथ्य के आलोक में कि यह परियोजना माधा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सूखाग्रस्त और पिछड़े क्षेत्र के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): जी हाँ। महाराष्ट्र की नीरा देवधर सिंचाई परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 3,591.46 करोड़ रुपए (जून 2022 का मूल्य स्तर) है, को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल करने के लिए सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) हेतु ज्ञापन को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा व्यय विभाग को भेज दिया गया है। 7 जून 2024 को निर्धारित पीआईबी की बैठक स्थगित कर दी गई थी। पीआईबी बैठक की संशोधित तिथि अभी तय नहीं की गई है। किसी परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल करने का अनुमोदन, पीआईबी द्वारा परियोजना के सफल मूल्यांकन और योजना के अंतर्गत उसे शामिल करने हेतु उसकी सिफारिशों के बाद ही मिलता है।

*****